(45)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 60 / प्र0अ0(भवन) / जोन–2 / 2014–15 दिनांक 14 / 03 / 2015

अनुमति–पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या उसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के निहित स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री मो0 तारीक खाँ पुत्र स्व0 मो0 रहमत उल्ला द्वारा भवन सं0 138ए पुराना 108 नया नुरुल्ला रोड इलाहाबाद के जोन संख्या (2) के अन्तर्गत वाणिज्य व्यवसायिक/आवासीय भवन मानचित्र के रूप में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपयोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उल्लिखित संख्या–2.1.6 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी, निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 01 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
5. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त, नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में कोई वित्तीय देयता/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते है तो तत्काल भुगतान/अनुपालन आवेदकगण को करना बाध्यकारी होगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू–स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/अधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
7. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (6) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
10. भवन निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आगे भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
11. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
12. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आर्किटेक्ट का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
13. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनाधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

[signature] 14/3/2015

(पुष्कर श्रीवास्तव)

OSD/प्रभारी अधिकारी (ज़ोन0 2)

मानचित्र की प्रति प्राप्त
हस्ताक्षर :
मो0 तारिक खाँ : 14-3-15

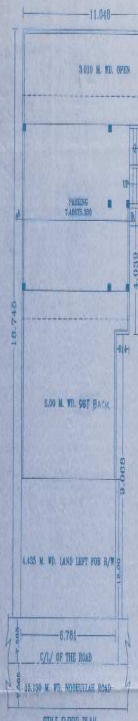

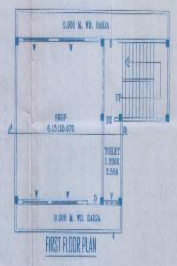

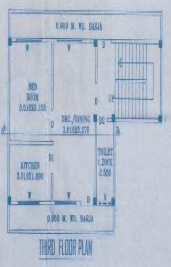

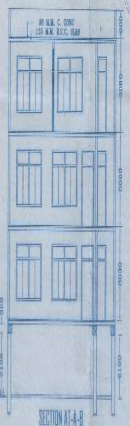

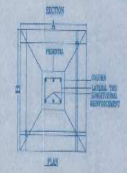

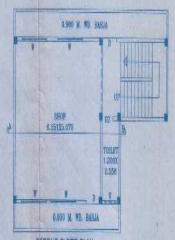

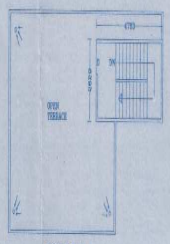

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF HOUSE NO.-138A OLD & 186 NEW MOHALLA NOORULLAH ROAD PARAGANA & TEHSIL SADAR ALLAHABAD

OWNER -MOHD. TARIQUE KHAN
S/O -LATE MOHD. RAHMATULLAH

EXISTING TO BE DEMOLISHED WORK SHOWN THUS ☐

PROPOSED WORK SHOWN THUS ☐

1. TOTAL AREA OF PLOT	154.88	SQ.MT.
2. LAND LEFT FOR R/W	30.07	" "
3. NET PLOT AREA	124.81	" "
4. PROPOSED AREA ON STILT	49.60	" "
5. PROPOSED AREA ON F. F.	49.60	" "
6. PROPOSED AREA ON S. F.	49.60	" "
7. PROPOSED AREA ON T. F.	49.60	" "
8. OPEN AREA ON STILT	75.21	" "
9. OPEN AREA ON F. F.	75.21	" "
10. OPEN AREA ON S. F.	75.21	" "
11. OPEN AREA ON T. F.	75.21	" "
12. MUMTY AREA	12.57	" "
13. GROUND COVERAGE	39.74	%
14. F. A. R.	01.19	

SCHEDULE OF DOOR WINDOW & VENT.

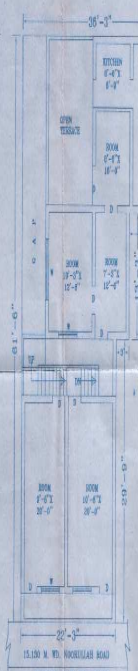

1.	DOOR	D	1000X2400
2.	DOOR	D1	900X2400
3.	DOOR	D2	750X2400
4.	WINDOW	W	1500X2000
5.	WINDOW	W1	900X2000
6.	VENT.	V	750X600

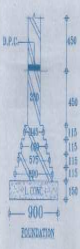

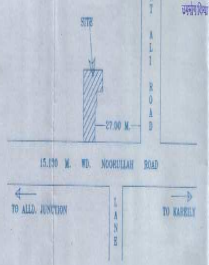

N

SCALE- 1;100

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BYE LAWS 2012 AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021

AWAS CONSULTANTS